



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

15/6/86

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 1986 (चैत्र 29, 1908)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 1986 (CHAITRA 29, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

पृष्ठ	विषय सूची	पृष्ठ
319	भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांख्यिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांख्यिक नियमों और सांख्यिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
453	भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांख्यिक नियम और आदेश
—	भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांख्यिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महाअदालत परीक्षण, संघ कोष सेवा आयोग, रेलवे प्रशासकों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संघर्ष और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
489	भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 2—पेटेंट कार्यालय, कानूनी सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस
—	भाग II—खण्ड 1—अधिवक्ता, अध्यापक और विधिवत	भाग III—खण्ड 3—मुख्य जायन्तों के प्राधिकार के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
—	भाग II—खण्ड 1-क—अधिवक्ता, अध्यापकों और विधिवतों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांख्यिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
—	भाग II—खण्ड 2—विधिवत तथा विधिवतों पर प्रारंभ सभितियों के विषय तथा रिपोर्टें	भाग IV—नेर-सरकारी ध्वज और नेर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस
—	भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांख्यिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां शामिल हैं)	भाग V—संकेतों और हिन्दी दोनों में अक्षर और मूल्या के अक्षर को दिखाने वाला मयुद्रक
—	भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।
1—21 GJ/86

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	319	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	453	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	14755
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	489	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	271
PART II—SECTION I—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION I-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	423
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the select Committee on Bills	*	PAR IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	65
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*	PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Supreme Court]

राष्ट्रपति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1986

सं. 32-प्रेस/86--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों/कामियों को उनकी असाधारण कोर्ट की कर्तव्यनिष्ठा एवं माहुरिक कार्यों के लिए "सिना मैडल"/"आर्मी मैडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :-

1. मिर्जोइयार अच्यु नाथर (आई०सी०-12620), कवचित कोर।
2. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप कृष्ण धवन (आई०सी०-12479)--आर्टिलरी।
3. लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत सिंह बुटालिया (आई०सी०-16544)--आर्टिलरी।
4. लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव कृष्ण सिंह परमार (आई०सी०-22372)--आर्टिलरी।
5. मेजर कन्ननधानम जोषफ सेमुग्रन (आई०सी०-25270)--आर्टिलरी।
6. मेजर शिवाजी मालव्या कणवरकर (आई०सी०-19046)--मद्रास।
7. मेजर रणधीर सिंह (आई०सी०-19485)--3 गोरखा राइफल्स।
8. मेजर रवि कान्त सीमा (आई०सी०-19529)--गढ़वाल राइफल्स।
9. मेजर वामुदेवन सुरेश नाथर (आई०सी०-25912)--मराठा लाइट इन्फेन्ट्री।
10. मेजर प्रभात चन्द्र दास (आई०सी०-2655)--मेकनाइज्ड इन्फेन्ट्री।
11. मेजर मुखर्जी सिंह पुनिया (आई०सी०-28945)--प्रेनेरियस।
12. मेजर मतीश कुमार ब्रासी (आई०सी०-32078)--जाट रेजिमेंट।
13. मेजर शशिकांत राजा राम महाजन (आई०सी०-32227)--कुमाऊं रेजिमेंट।
14. मेजर अरकाली मुद्य्यागिर राव प्रकाश (आई०सी०-33183)--प्रेनेरियस।
15. मेजर मनिन्दर सिंह बेदी (आई०सी०-27660)--आर्टिलरी।
16. मेजर लल्लन सिंह (आई०सी०-26917)--4 गोरखा राइफल्स।
17. मेजर रमेश प्रसाद सिंह (आई०सी०-31367)--जम्मू-कश्मीर राइफल्स।
18. कैप्टन जगदेव सिंह पठानिया (आई०सी०-30747)--आर्टिलरी।
19. कैप्टन मोहन लाल बजाज (आई०सी०-32597)--पंजाब।
20. कैप्टन अनूप बनर्जी (एम०आर०-4428)--सिना ब्रिक्वेटा कोर।
21. कैप्टन सुरेश्वर दयाल सरान (आई०सी०-39460)--कवचित कोर।
22. कैप्टन जितेन्द्र सिंह यादव (आई०सी०-39673-एल)--कवचित कोर।
23. कैप्टन परमवीर यादव (आई०सी०-39529)--कुमाऊं रेजिमेंट।
24. कैप्टन धिजय पाल सिंह नेगी (एम०आर०-4757)--सिना ब्रिक्वेटा कोर (सरनोपरांत)।
25. सैकंड लेफ्टिनेंट राजेन्द्र सिंह रावत (आई०सी०-40104)--1 गोरखा राइफल्स।
26. सैकंड लेफ्टिनेंट चन्द्र बल्लभ शर्मा (आई०सी०-41411)--सिख लाइट इन्फेन्ट्री।
27. सैकंड लेफ्टिनेंट हरिन्दर सिंह (आई०सी०-41528)--मराठा लाइट इन्फेन्ट्री।
28. सैकंड लेफ्टिनेंट संतानम काशीनाथन (एम०एस०-31364)--3 गोरखा राइफल्स।
29. सैकंड लेफ्टिनेंट विनेश सिंह बिष्ट (एम०एस०-31367)--आर्टिलरी।
30. जे०सी०-335 सूबेदार राज सिंह, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री।
31. जे०सी०-83785 सूबेदार चानन सिंह--सिख लाइट इन्फेन्ट्री।
32. जे०सी०-99324, सूबेदार गिरधारी लाल, डोगरा।
33. जे०सी०-102093, सूबेदार हरनेक सिंह, सिख लाइट इन्फेन्ट्री।
34. जे०सी०-150424 सूबेदार चन्द्र सिंह नेगी,--असम राइफल्स।
35. जे०सी०-112488 नायब सूबेदार कौर सिंह,--पंजाब।
36. जे०सी०-एन०आई०ए०-4147734 नायब सूबेदार शिव सिंह--कुमाऊं।
37. जे०सी०-133315 नायब सूबेदार सोनम छेरिंग--लद्दाख स्काउट्स।
38. टी०जे०-2877 नायब सूबेदार मगत मल बिस्ता--प्रादेशिक सिना।
39. 2459527 हवलदार भजन सिंह--मेकनाइज्ड इन्फेन्ट्री।
40. 2763761 हवलदार संतराम येशु महादिकनू--मराठा लाइट इन्फेन्ट्री।
41. 2765945 हवलदार शंकर गोट--मराठा लाइट इन्फेन्ट्री।
42. 4169498 हवलदार हर्ष सिंह--कुमाऊं।
43. 5240223 हवलदार बम बहादुर शणैत--3 गोरखा राइफल्स।
44. 9210931 हवलदार भारत सिंह, मद्रास रेजिमेंट
45. 1530107 हवलदार महाबब मोरे, हर्षोतिथम
46. 7084055 हवलदार राजवीर सिंह विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी
47. 1261332 शंभु हवलदार कुलवत सिंह, आर्टिलरी
48. 2967849 लॉस हवलदार सिहाल सिंह,--राजपूत रेजिमेंट।
49. 5340880 लॉस हवलदार पवन कुमार शर्मा--1, गोरखा राइफल्स।
50. 5342115 लॉस हवलदार चंद्र बहादुर शर्मा--4, गोरखा राइफल्स।
51. 2467276 नायक अमरजीत सिंह--पंजाब।
52. 1269538 एम लॉस नायक मदन दास--आर्टिलरी।
53. 2772112 लॉस नायक माऊ राजाराम तिबले--मराठा लाइट इन्फेन्ट्री।

54. 2773385 लॉस नायक वसंतराव बागल—मराठा लाइट इंफैंट्री
55. 4170727 लॉस नायक गोविन्द सिंह—कुमाऊं।
56. 4173893 लॉस नायक भव सिंह—कुमाऊं।
57. 7771870 लॉस नायक राम बिहारी सिंह—सेना पुलिस कॉर्पोरेशन।
58. 67877484 लॉस नायक केशर सिंह—सामा सुरक्षा बल।
59. 14327258 गनर भोरोबर गोगई—ग्राटिकरी।
60. 2463857—एच सिपाही बलबीर सिंह—पंजाब रजिमेंट।
61. 2470645 सिपाही गुरनाम सिंह—पंजाब।
62. 2475131 सिपाही चैन सिंह—पंजाब।
63. 2776581 सिपाही सावंत अनन्त सोपारी—मराठा लाइट इंफैंट्री।
64. 4174659 सिपाही जय भान सिंह—कुमाऊं।
65. 4457300 सिपाही जगत्तर सिंह—सिख लाइट इंफैंट्री।
66. 19681 राष्ट्रकर्मन ज्ञानेन्द्र संगमा—हरम राष्ट्रकर्म (मरणोपरान्त)

सं० 33-प्रेष/86—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसकी असाधारण कोटि की कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए सेवा मंडल का बार/प्रार्थी मंडल का बार प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

कैप्टन संजय अग्रवाल, से०मे० (आई० सी०-35925)—कुमाऊं

सं० 34-प्रेष/86—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों/कर्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए "भोसना मेडल"/"नेवी मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कमांडर विद्यालाल पाण्डेय (00850-एफ)
2. लेफ्टिनेंट कमांडर एलायसियस पाल ऐंड्रेड राबिन (70132-आर)
3. लेफ्टिनेंट कमांडर अमरजीत सिंह मीनेज (01244-ए)
4. लेफ्टिनेंट कमांडर अश्वनि कुमार खन्ना—(01439-उब्ल्यू)
5. लेफ्टिनेंट कमांडर कोलिमाडा विवेक अष्टैया—(01321-ए)
6. लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी संयुक्त धर्मपाल पराशर—(81937-उब्ल्यू)
7. लेफ्टिनेंट हरिकान्त सिन्हा (02339-आर)
8. कमल देव, चीफ पेटी अफसर इलेक्ट्रिशियन रेडियो—(200385-आई)
9. शमशूल हुडा मोहमद, मैकेनीशियन (एयर इलेक्ट्रिकल) तृतीय श्रेणी (097353-एच)।
10. चांद सिंह, पेटी अफसर रेडियो (टेली ग्राफिस्ट)—(096240-बी)
11. बिशना राम, लीडिंग कुक (अफसर)—(106912-एच)
12. प्रताप सिंह, लीडिंग सीमैन, किलअरेन्स डाइवर मेकेंड क्लास—(140539-एच)।
13. टी० विनोद राव, सीमैन, फस्ट क्लास, किलअरेन्स डाइवर, सेकेंड क्लास (201754एच)।

सं० 35-प्रेष/86—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों/कर्मिकों को उनकी असाधारण कोटि की कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए "वायुसेना मेडल"/"एयरफोर्स मेडल" प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. ग्रुप कैप्टन त्रिवाकर घोष (4797—उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर घमंडीर सिंह त्रेहाण (7325—वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
3. विंग कमांडर तेज मोहन अस्थाना (7672)—उड़ान (पायलट)।
4. विंग कमांडर इन्द्रजीत सिंह खोपागप (7691)—उड़ान (पायलट)

5. विंग कमांडर शशीन्द्र पाल त्वर्ती (8130)—उड़ान (पायलट)।
6. विंग कमांडर सुरेन्द्र साहनी (8141)—उड़ान (पायलट)—(सेवानिवृत्त)।
7. विंग कमांडर कृष्ण बालाकृष्णन् मेनन (9028)—(पायलट)।
8. विंग कमांडर गुरदीप सिंह (9395)—उड़ान (पायलट)।
9. विंग कमांडर नरेन्द्र मितांचा (9513)—उड़ान (पायलट)।
10. विंग कमांडर दिलीप कमलाकर डिचे, बीर चक्र (9745), उड़ान (पायलट)।
11. विंग कमांडर कृष्ण कुमार वसंत बोपांडिकर (10091)—उड़ान (पायलट)।
12. स्वर्णाङ्ग लीडर सुहास बलेमेंट सोलोमन (10987)—उड़ान (पायलट)।
13. स्वर्णाङ्ग लीडर हरबंस सिंह नाथ (12008)—उड़ान (पायलट)।
14. स्वर्णाङ्ग लीडर राजीव कुमार लखवारा (12418)—उड़ान (पायलट)।
15. स्वर्णाङ्ग लीडर अनूप राजकुमार निगम (13240)—उड़ान (पायलट)।
16. फ्लाइट लेफ्टिनेंट भूपिन्धर पाल सिंह भीमा (15494-के)—वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)।
17. 253819 वारंट अफसर सैयद कुतुबुद्दीन, यू-प्रशिक्षण अनुदेशक/हवाई छाता कूद अनुदेशक।

सं० 36-प्रेष/86—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसकी असाधारण कोटि की कर्तव्यनिष्ठा एवं साहसिक कार्यों के लिए वायुसेना मेडल का बार/एयरफोर्स मेडल का बार प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

विंग कमांडर नरिन्दर सिंह बहल—वा०से०मे० (8155), उड़ान (पायलट)।

सं० 37-प्रेष/86—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बृजलाल हांडा,
पुलिस अधीक्षक,
मुरैना।

श्री आई०बी० श्रीवास्तव,
पुलिस उप अधीक्षक,
मुरैना।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 अक्टूबर, 1984 को पुलिस उप अधीक्षक श्री आई०बी० श्रीवास्तव को सूचना प्राप्त हुई कि पागारा बांधक, धाना जोरा के जंगल में घुजीराम का कुख्यात गिराह उस क्षेत्र में अग्रगण्य करने के लिए मौजूद है। यह सूचना मुरैना के पुलिस अधीक्षक श्री बी०एल० हांडा को दे दी गई जो धाना जोरा पहुंचे। उन्होंने डाकुओं को घेरने के लिए तुरन्त एक योजना बनाई। उपलब्ध बल को चार बलों में बांट दिया गया और उन्हें डाकू गिराह के आने के सम्भावित मार्गों पर तैनात किया गया। पुलिस बलों ने धर्म रात्रि के बाद घेरे को छोटा करना शुरू कर दिया। श्री आई०बी० श्रीवास्तव, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व वाले दल ने डाकुओं के गिराह को सबसे पहले देखा और गिराह को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन डाकुओं ने जवाब में जोरदार गोलीबारी की और पुलिस के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। जबकि गोलीबारी में श्री श्रीवास्तव बन्दूक की गोलियों से जखमी हो गए लेकिन वे गोली चलाते रहे। पुलिस की गोलीबारी ने गिराह का नेता घुजीराम मीना गारा

गया जिससे डाकू पूरी तरह हतोत्साहित हो गए और वे जान बचाकर भागे। भागते हुए डाकूओं का सामना श्री बृजलाल हाथ्या के नेतृत्व वाले दल से हुआ। यह बहुत ही सामरिक स्थान पर मोर्चा सम्भाले था जहाँ से उनके बच निकलने का प्रयास निष्फल किया जा सकता था। कार्रवाई के दौरान श्री हाथ्या छरों से घायल हो गये लेकिन वे मोर्चे पर उठे रहे जिसके कारण डाकूओं का बच निकलना अशक्य हो गया। इस समय तक दो अन्य पुलिस दलों ने भी गिराहू का पूरा सफाया कर दिया। मुठभेड़ में सभी पाँच डाकू अर्थात् धूर्जीराम मीना, नाहर सिंह, पान सिंह, शेख तथा शंरा मारे गए।

इस मुठभेड़ में, श्री बृजलाल हाथ्या, पुलिस अधीक्षक और श्री आई० बी० श्रीवास्तव, पुलिस उप अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कौटिकी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 अक्टूबर, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 38-प्रेज/86--राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बी०बी० अशोक कुमार,
पुलिस उप निरीक्षक (यातायात),
उत्सूर उप-मंडल,
बंगलौर शहर।

सिवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 अक्टूबर, 1984 को श्री बी०बी० अशोक कुमार, पुलिस उप निरीक्षक (यातायात) को पुलिस नियंत्रण कक्ष से मन्देश प्राप्त हुआ कि कैम्पज क्षेत्र में काली येजदी मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति एक महिला से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीनकर भाग गए हैं। वे तुरन्त कार्स्टेबल अल्लाह बक्श के साथ एच०ए०एल० रोड और फिर कोरमंगला की ओर रवाना हुए। जब वे सरजापुर रोड पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने से बहुत तेज गति से आती हुई काली येजदी मोटर साइकिल पर दो व्यक्तियों को देखा। श्री कुमार ने मोटर साइकिल सवार को रकने का संकेत दिया, लेकिन वह तेजी से निकल गया। झटके होने पर श्री कुमार ने मोटर साइकिल का पीछा किया, जो अर्धवृत्त तीव्र गति से मोड़ने लगी थी और जा रही थी। वे मोटर साइकिल के बिल्कुल पास आये और उन्हें डराने के लिए अपने रिवास्वर से गोली चलायी परन्तु उन्होंने मोटर साइकिल नहीं रोकी। अन्ततः श्री कुमार से साहस किया और अपनी मोटर साइकिल आसताइयों की मोटर साइकिल से टकरा दी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों मोटर साइकिलें गिर गयीं। दूसरी मोटर साइकिल का एक सवार श्री कुमार की मोटर साइकिल के नीचे आ गया। उप-निरीक्षक तथा कार्स्टेबल तुरन्त उठे और श्री कुमार पिछली सीट पर बैठे सवार पर झपटे, जिसमें डाकू निकाल लिया और उन पर हमला किया। उन्होंने अपने हाथों से वार को रोका, किन्तु इस कार्रवाई में उनकी बायीं हथेली में गहरा घाव हो गया। बाय के बावजूद वे क्षणिक अपराधियों से बच गये और उन्हें दबाकर लिया। महिला से छीनी गयी सोने की चेन और मंगलसूत्र उभसे बरामद किए गए।

इस घटना में, श्री बी०बी० अशोक कुमार, पुलिस उप-निरीक्षक (यातायात) ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कौटिकी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 अक्टूबर, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 39-प्रेज/86--राष्ट्रपति अम्म पुलिस के निम्नांकित अधी-कारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करने हैं :-

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शिव प्रसाद शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
पलटन बाजार,
गुवाहाटी।

(मरणोपरान्त)

श्री निखिल चन्द्र पाल,
पुलिस उप निरीक्षक,
पलटन बाजार,
गुवाहाटी।

(मरणोपरान्त)

श्री मोहिन्द्र पाल,
कार्स्टेबल सं०-740370375,
"ए" कम्पनी, 37 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
गुवाहाटी।

सिवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 नवम्बर, 1983, को पुलिस अधीक्षक गुवाहाटी ने थाना भालुक-बाड़ी के अन्तर्गत कालीपुर के नजदीक संदिग्ध मणिपुरी उग्रवादी के छिपने के स्थान पर तलाशी देने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 37वीं बटालियन के 40 जवानों, श्री शिव प्रसाद शर्मा, पुलिस निरीक्षक और निखिल चन्द्र पाल, पुलिस उप निरीक्षक, श्री मोहिन्द्र पाल, कार्स्टेबल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, के पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया। छिपने के स्थान पर पहुँचने पर पुलिस बल ने मकान को घेर लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा तलकारे जाने पर एक उग्रवादी ने दरवाजा खोला। जैसे ही पुलिस उग्रवादियों को पकड़ने वाली थी, एक उग्रवादी ने पुलिस बल पर हथगोला फेंका, जिसमें कई शक्मी हो गये और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घटनास्थल पर ही मारा गया। जखमी होने के बावजूद पुलिस बल ने दिनेरी से उग्रवादियों द्वारा बचकर भागने की कोशिश को रोका। श्री शर्मा हथगोले के खण्डित टुकड़ों से गम्भीर रूप से जखमी हो गये थे लेकिन जखमी होने के बावजूद उन्होंने उग्रवादियों को बर्बाद करने की कोशिश की और उन्हें भागने से रोका। बाय में श्री शर्मा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। श्री निखिल चन्द्र पाल को भी हथगोला फटने से गम्भीर चोटें आईं, लेकिन जखमी होने के बावजूद उन्होंने उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए उन्हें बर्बाद करने का प्रयास किया। क्योंकि श्री पाल को गम्भीर चोटें आईं, अतः उन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ तीन दिन बाद जखमों के कारण उनका देहान्त हो गया। श्री शिव प्रसाद शर्मा और श्री निखिल चन्द्र पाल द्वारा समय पर की गयी कार्रवाई के कारण उग्रवादी अन्य दो हथगोलों, जो उनके पास थे, का प्रयोग नहीं कर सके। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्स्टेबल मोहिन्द्र पाल मुठभेड़ में बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन दुर्भाग्यवश गम्भीर रूप से घायल हो गये और बाय में जखमों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। एक उग्रवादी अर्थात् एम० तोशन उर्फ सायबा मिह भी मुठभेड़ में मारा गया।

इस मुठभेड़ में, श्री शिव प्रसाद शर्मा, पुलिस निरीक्षक, श्री निखिल चन्द्र पाल, पुलिस उप निरीक्षक, और श्री मोहिन्द्र पाल, कार्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कौटिकी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 नवम्बर, 1983, से दिया जाएगा।

सं० 40-प्रेज/86--दिनांक 4 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में पृष्ठ 120 पर प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं० 10-प्रेज/84, दिनांक 26 जनवरी, 1984 में श्री वंशन सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, इलाहाबाद सब डिवीजन बाबा बकाना, जिला प्रमत्तर, पंजाब, को मराहतीय सेवाओं के लिए प्रवस पुलिस पदक को पुलिस पदक से संबंधित नियमों के नियम 8 के अन्वयेत रद्द किया जाना है और पदक जब्त किया जाता है।

के० सी० सिंह, राष्ट्रपति का उप सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1986

आदेश

विषय :- अपतटीय (आर-10 सहित) आर-9 संरचना के लिये 208.76 वर्ग किलोमीटर बी०ओ०पी० क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० प्रो-12012/20/82-ओ०एन०सी० सी०-IV-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 8 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन देहरादून (इसमें जिस आगे आयोग कहा गया है) को रत्नागिरी अपतट पर (आर-10 सहित) आर-9 संरचना के लिये

208.76 वर्ग किलोमीटर (बी०ओ०पी०) क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 27-2-83 में 26-2-86 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है।

इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं। लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :-

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण रूप से उसके सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :
 - (i) समस्त अधोधित तेल तथा केमिंग हेड कंटेन्मेंट पर 61 रुपये प्रति मी० टन या बैरी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
 - (ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।
 - (iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अवधारणा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी की बी जायेगी।
- (घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अधोधित तेल की मात्रा, केमिंग हेड कंटेन्मेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य वशानि बाधा एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।
- (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।
- (च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंग जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :
 1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए

2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रु०
5. लाइसेंस के तथोनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार... को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसकी तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप में केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यय तथा अन्वेषण कार्य के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैमा वस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषण/आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किये गये वाथीमिट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिये।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मन्त्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियाँ रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोकार्बन को निशुल्क उपलब्ध कराये जाती हैं।

(च) अगर विदेशी जलपात लगाये जाते हैं तो उनका नौसेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से पूर्व किया जाना होता है। भारत में ऐसे जलपातों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे निरीक्षण दल को प्रतियुक्त हों सके।

(छ) भारती मंचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिए सर्वेक्षण आरम्भ करने/समाप्त करने की तिथि बतायी जाए।

अनुसूची "क"
रत्नागिरी अपतट पर 208.76 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के (आर-10 सहित) आर-9 संरचना के लिये बी०ओ०पी० से संबंधित तकनीकी आंकड़े।

बिंदु	देशांतर	अक्षांतर
क.	72° 20' 33.80" ई०	18° 13' 30" पू०
ख.	72° 24' 54.09" ई०	18° 13' 30" पू०
ग.	72° 29' 51.55" ई०	18° 04' 51.83" पू०
घ.	72° 21' 13.94" ई०	18° 05' 5.08" पू०

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्वेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं०	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हूड कन्वेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्वारा मैं, श्री—सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

भारत के राष्ट्रपति के नाम पर तथा उनके आदेश पर

हस्ताक्षर—

पी० के० राजगोपालन
इंसक अधिकारी

परिवहन मंत्रालय
जन भू-तल विभाग
(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 1986

संकल्प

सं० एच०पी०यू०/106/86—भारत सरकार, भूतपूर्व नौबहन और परिवहन मंत्रालय के दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के समसंख्यक संकल्प में जो उक्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बारे में है आंशिक संशोधन करती है और इस संशोधन के फलस्वरूप उक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित प्रकार से करती है।

- | | |
|---|------------|
| 1. परिवहन मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. परिवहन राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री शिव प्रसाद साहू, संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 4. श्री नारायण चौबे, संसद सदस्य (लोक सभा) | " |
| 5. श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य (राज्य सभा) | " |
| 6. श्री गणेश्वर कुसुम, संसद सदस्य (राज्य सभा) | " |
| 7. श्री नेपालदेव भट्टाचार्य, संसद सदस्य | " |
| 8. श्री के० बी० थामस, संसद सदस्य | " |
| 9. परिवहन सचिव | " |
| 10. अपर सचिव (पत्तन) | " |
| 11. महानिदेशक (सड़क विकास) | " |
| 12. महानिदेशक (नौबहन) | " |
| 13. महानिदेशक, सीपथर और सीपपोत विभाग | " |
| 14. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड | " |
| 15. अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक, सेंट्रल इन्डियन वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड | " |
| 16. अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट | " |
| 17. अध्यक्ष, ब्रह्मस पोर्ट ट्रस्ट | " |
| 18. सचिव, राजभाषा विभाग व भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार | " |
| 19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) | " |
| 20. श्री गया मिह, भूतपूर्व एम० एल० ए० | " |
| 21. श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी | " |
| 22. श्री चन्द्रनाथ मिश्र | " |
| 23. श्री शमशुद्दीन खां, भूतपूर्व एम० एल० ए० | " |
| 24. श्री के० एम० मथार | " |
| 25. डा० जे० पी० त्रिवेदी | " |
| 26. डा० एन० चन्द्रशेखर नायर | " |
| 27. श्री ब्रह्मरु रजक प्रसारी, एम० एल० ए० | " |
| 28. श्री चार० शौरि राजन | " |
| 29. डा० तनवीर अहमद अलवी | " |
| 30. श्री गोपाल मिश्र | " |
| 31. श्री भैरवचन्द्र "सुमन" | " |
| 32. प्रोफेसर डा० महीप सिंह | " |
| 33. श्री सुरेन्द्र शर्मा | " |
| 34. डा० के० एन प्रसाव "भागद" | " |
| 35. डा० एम राजेश्वरय्या | " |
| 36. श्री के० सी० सिन्हा | " |
| 37. श्री चन्द्रकान्त एस० केनी | " |
| 38. श्री शफी कुरेशी | " |
| 39. प्रो० बी० के० सिन्हा | " |
| 40. संयुक्त सचिव (पत्तन) | सदस्य सचिव |

कार्य :-

केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के

प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सलाह देना।

कार्याविधि :-

समिति के सदस्यों की कार्याविधि हमके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगी, परन्तु :-

1. समिति के लिए नामजद कोई संसद सदस्य ज्यों ही संसद की सदस्यता का त्याग करेगा समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।
2. समिति के पत्रेन वस्य उस समय तक समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि कि वे उस पत्र पर आसान रहेंगे जिसके कारण समिति के सदस्य बने हैं।
3. यदि समिति में किसी भी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण मध्यावधि ही कोई स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसे रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष की बाकी अवधि के लिए ही पदधारी रहेगा।

सामान्य :

समिति अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है या यथावश्यक उप मद्दतियाँ नियुक्त कर सकती है।

2. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यकता होने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

3. समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की तथा उसकी उप समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इन संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य और विधि तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इन संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 1986

सं० क्यू-16012/1/85-डब्ल्यू०ई० (एन०एल०आई०)—तारीख 22 नवम्बर, 1985 की अधिसूचना सं० क्यू-16012/1/85-डब्ल्यू०ई० (एन०एल०आई०) की तहत राष्ट्रीय श्रम संस्थान का पुनर्गठन अधिसूचित किया गया था।

अब उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाए :-

क्रमांक 5 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात् :-

"श्री उमरावमल पुरोहित,

जनरल सेक्रेटरी,

हिन्द मजदूर सभा,

नगिनवास चैम्बर, बूखरी मंजिल,

167, पी०डी० मैसो रोड,

बम्बई-400 038"

निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :-

"श्री ए० सुब्रामनियन,

वाइस प्रेजिडेंट,

हिन्द मजदूर सभा,

माफत कोयम्बतूर जिला टेक्सटाइल

वर्कर्स यूनियन, 145, तिसी रोड,

कोयम्बतूर-641 005 (तमिलनाडू)"

विद्या चौपड़ा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1986

No. 32-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of "Sena Medal"/"Army Medal" to the undermentioned officers/personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Brigadier Achu Nair (IC-12620), Armoured Corps.
2. Lieutenant Colonel Partap Krishan Dhawan (IC-12479), Artillery.
3. Lieutenant Colonel Amarjit Singh Butalia (IC-15544), Artillery.
4. Lieutenant Colonel Baldev Krishan Singh Parmar (IC-22372), Artillery.
5. Major Kannanthanam Joseph Samuel (IC-25270), Artillery.
6. Major Shivaji Mallappa Kanbarkar (IC-19046), Madras.
7. Major Randhir Singh (IC-19485), 3 Gorkha Rifles.
8. Major Ravi Kant Saini (IC-19529), Garhwal Rifles.
9. Major Vasudevan Suresh Nair (IC-25912), Maratha Light Infantry.
10. Major Prabhat Chandra Das (IC-26565), Mechanised Infantry.
11. Major Sukhbir Singh Punia (IC-28945), Grenadiers.
12. Major Satish Kumar Bali (IC-32078), Jat Regiment.
13. Major Shashikant Raja Ram Mahajan (IC-32227), Kumaon Regiment.
14. Major Arakali Mudlagiri Rao Prakash (IC-33183), Grenadiers.
15. Major Maninder Singh Bedi (IC-27660), Artillery.
16. Major Lallan Singh (IC-26917), 4 Gorkha Rifles.
17. Major Ramesh Prasad Singh (IC-31367), J&K Rifles.
18. Captain Jagdev Singh Pathania (IC-30747), Artillery.
19. Captain Mohan Lal Bajaj (IC-32597), Punjab.
20. Captain Anup Banerji (MR-4428), Army Medical Corps.
21. Captain Sureshwar Dayal Sarin (IC-39460), Armoured Corps.
22. Captain Jitendra Singh Yadav (IC-39673-L), Armoured Corps.
23. Captain Paramvir Yadav (IC-39529), Kumaon Regiment.
24. Captain Vijaypal Singh Negi (MR-4757), Army Medical Corps (Posthumous).
25. Second Lieutenant Rajendra Singh Rawat (IC-40104), 1 Gorkha Rifles.
26. Second Lieutenant Chander Ballabh Sharma (IC-41411), Sikh Light Infantry.
27. Second Lieutenant Harinder Singh (IC-41528), Maratha Light Infantry.
28. Second Lieutenant Santhanam Kashinathan (SS-31364), 3 Gorkha Rifles.
29. Second Lieutenant Dinesh Singh Bisht (SS-31367), Artillery.
30. JC-335 Subedar Raj Singh, Jammu and Kashmir Light Infantry.
31. IC-83785 Subedar Chanan Singh, Sikh Light Infantry.
32. JC-99324 Subedar Girdhari Lal Dogra.
33. JC-102093 Subedar Harnek Singh, Sikh Light Infantry.
34. IC-150424 Subedar Chandra Singh Negi, Assam Rifles.
35. IC-112488 Naib Subedar Kaur Singh, Punjab.
36. JC-NYA 4147734 Naib Subedar Shib Singh, Kumaon.
37. IC-133315 Naib Subedar Sonam Chhering, Ladakh Scouts.

38. JC-2877 Naib Subedar Magan Mal Bissa, Territorial Army.
39. 2459527 Havildar Bhajan Singh, Mechanised Infantry.
40. 2763761 Havildar Shantaram Yesu Mahadik, Maratha Light Infantry.
41. 2765945 Havildar Shankar Gode, Maratha Light Infantry.
42. 4169498 Havildar Harash Singh, Kumaon.
43. 5240223 Havildar Bom Bahadur Basnet, 3 Gorkha Rifles.
44. 9210931 Havildar Bharat Singh, Mahar Regiment.
45. 1530107 Havildar Mahadev More, Engineers.
46. 7084055 Havildar Rajvir Singh, Electrical and Mechanical Engineers.
47. 1261332 Lance Havildar Kulwant Singh, Artillery.
48. 2967849 Lance Havildar Nihal Singh, Rajput Regiment.
49. 5340880 Lance Havildar Pawan Kumar Thapa, 4 Gorkha Rifles.
50. 5342115 Lance Havildar Chandra Bahadur Rana, 4 Gorkha Rifles.
51. 2467276 Naik Amarjit Singh, Punjab.
52. 1269538-M Lance Naik Madan Lal, Artillery.
53. 2772112 Lance Naik Bhau Rajaram Tible, Maratha Light Infantry.
54. 2773365 Lance Naik Vasant Rao Bagal, Maratha Light Infantry.
55. 4170727 Lance Naik Govind Singh, Kumaon.
56. 4173893 Lance Naik Bhow Singh, Kumaon.
57. 7771870 Lance Naik Ram Bihari Singh, Corps Military Police.
58. 67877484 Lance Naik Keshar Singh, Border Security Force.
59. 14327258 Gunner Bhogeswar Gogoi, Artillery.
60. 2463857-H Sepoy Balbir Singh, Punjab Regiment.
61. 2470645 Sepoy Gurnam Singh, Punjab.
62. 2475131 Sepoy Chain Singh, Punjab.
63. 2776581 Sepoy Sawant Anant Sopari, Maratha Light Infantry.
64. 4174659 Sepoy Jai Bhan Singh, Kumaon.
65. 4457300 Sepoy Jagtar Singh, Sikh Light Infantry.
66. 19681 Rifleman Gyanendra Sangma, Assam Rifles (Posthumous).

No. 33-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of Bar to Sena Medal/Army Medal to the undermentioned officer/for act of exceptional devotion to duty or courage :—

Captain Sanjay Agarwal, SM (IC-35925), Kumaon.

No. 34-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of "Nao Sena Medal"/"Navy Medal" to the undermentioned officers/personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Commander Vindhvachal Pandey (00850-F).
2. Lieutenant Commander Aloysius Paul Andrade Robit (70132-R).
3. Lieutenant Commander Amarjeet Singh Manniso (01244-A).
4. Lieutenant Commander Ashwani Kumar Khanna (01439-W).
5. Lieutenant Commander Kollimada Vivek Acharya (01321-A).
6. Lieutenant (Special Duties Communication) Dharam Pall Prashar (81937-W).
7. Lieutenant Hari Kant Sinha (02339-R).
8. Kamal Dev, Chief Petty Officer Electrician Radip (200385-Y).

9. Samsul Huda Mohamed, Mechanician (Air Electrical) III Class (097353-).
10. Chand Singh, Petty Officer Radio (Telegraphist) (096240-B).
11. Bisna Ram, Leading Cook (Officers) (106912-H).
12. Pratap Singh, Leading Seaman, Clearance Diver Second Class (140539-P).
13. T. Vinod Rao, Seaman, First Class, Clearance Diver, Second Class (201754-H).

No. 35-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of "Vayu Sena Medal"/"Air Force Medal" to the undermentioned officers/personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Group Captain Diba Kar Ghosh (4797), Flying PPilot).
2. Wing Commander Dharamvir Singh Trehan (7325), Aeronautical Engineering (Mechanical).
3. Wing Commander Teja Mohan Asthana (7672), Flying (Pilot).
4. Wing Commander Inderjit Singh Boparai (7691), Flying (Pilot).
5. Wing Commander Shashindra Pal Tyagi (8130), Flying (Pilot).
6. Wing Commander Surinder Sawhney (8141), Flying (Pilot), (Retired).
7. Wing Commander Krishan Balakrishnan Menon (9028), Flying (Pilot).
8. Wing Commander Gurdip Singh (9395), Flying (Pilot).
9. Wing Commander Narendra Minocha (9513), Flying (Pilot).
10. Wing Commander Dilip Kamalakar Dighe, Vr. C. (9745), Flying (Pilot).
11. Wing Commander Krishan Kumar Vasant Bopardikar (10091), Flying (Pilot).
12. Squadron Leader Suhas Clement Solomon (10987), Flying (Pilot).
13. Squadron Leader Harbans Singh Bath (12008), Flying (Pilot).
14. Squadron Leader Rajiv Kumar Lakhwara (12418), Flying (Pilot).
14. Squadron Leader Anup Rajkumar Nigam (13240), Flying (Pilot).
16. Flight Lieutenant Bupinder Paul Singh Cheema (15494-K), Aeronautical Engineering (Mechanical).
17. 253819 Warrant Officer Syed Qutubuddin Ground Training Instructor/Parachute Jumping Instructor.

No. 36-Pres/86.—The President is pleased to approve the award of Bartoo Vayu Sena Medal/Air Force Medal to the undermentioned officer for exceptional devotion to duty or courage :—

Wing Commander Narinder Singh Chahal, VM (8155), Flying (Pilot).

The 7th April 1986

No. 37-Pres./86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names and rank of the Officers

Shri Brij Lal Handa,
Superintendent of Police,
Morena.

Shri I. B. Shrivastava,
Deputy Superintendent of Police,
Morena.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 8th October, 1984, information was received by Shri I. B. Shrivastava, Deputy Superintendent of police, regarding the presence of notorious gang of Dhujiram in the forest of Pagaradam, Police Station Jora for committing crime in the area. The information was passed on to Shri Brij Lal Handa, Superintendent of Police, Morena, who reached Police

Station Jora. He immediately chalked out a plan to encircle the dacoits. The available force was divided into four parties, and were positioned on the probable approach routes of the dacoit gang. The police parties started narrowing cordon after midnight. The dacoit gang was first sighted by the police party led by Shri I. B. Shrivastava, Deputy Superintendent who warned the gang to surrendered but the dacoits responded with a heavy fire and tried to break the police cordon. In the cross firing Shri Shrivastava sustained gun shot injuries, yet he continued to fire. As a result of police firing, gang leader Dhujiram Meena was shot dead, which completely demoralised the dacoits and they ran for their lives. The fleeing dacoits faced the police party led by Shri Brij Lal Handa, Superintendent of Police, which was positioned at a very tactical location wherefrom their attempt to escape could be foiled. In the process, Shri Handa sustained pellet injuries, but continued to hold his position, making it impossible for the dacoits to escape. By now the other two Police parties also completed decimation of the gang. In the encounter all the five dacoits viz. Dhujiram Meena, Nahar Singh, Pansingh, Sheru and Shera were killed.

In this encounter, Shri Brij Lal Handa, Superintendent of Police and Shri I. B. Shrivastava, Deputy Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of an high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8th October, 1984.

No. 38-Pres./86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name and the rank of the officer

Shri B. B. Ashok Kumar,
Sub-Inspector of Police (Traffic),
Ulsoor Sub-Division,
Bangalore City.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd October, 1984, Shri B. B. Ashok Kumar, Sub-Inspector of Police (Traffic) received a message from Police Control Room that two persons, riding on a black Yezdi motor-cycle, snatched away a gold chain and Mangalsutra from a woman in Cambridge Layout. Immediately, he along with Constable Allahabaksh proceeded towards HAL road and then to Koramangala. While he was going on Sarjapur Road, he noticed two persons coming on a black Yezdi motor-cycle at a very high speed from the opposite direction. Shri Kumar signalled the rider to stop, but he sped fast. On suspicion, Shri Kumar chased the motor-cycle which was proceeding towards Madivala at break-neck speed. He came close to the motor-cycle and fired from his revolver to scare them, but they did not stop the motor-cycle. Finally, Shri Kumar took courage and dashed his motor-cycle against the motor-cycle of the desperadoes, as a result of which both the motor-cycles fell down. Shri Kumar's motor-cycle pinned the rider of the other motor-cycle under it. The Sub-Inspector and the Constable immediately got up and Shri Kumar pounced on the billion rider, who whipped out a knife and attacked him. He ward off the attack with his hands, but in the process received a gashing wound on his left palm. Despite the injury, he grappled with the desperate criminals and succeeded in overpowering them. The gold chain and Mangalsutra, which were snatched from the woman were recovered from them.

In this incident, Shri B. B. Ashok Kumar, Sub-Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd October, 1984.

No. 39-Pers/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police :—

Names and rank of the officers

Shri Shiva Prasad Sarma,
Inspector of Police,
Paltanbazar,
Gawahati.

Shri Nikhil Chandra Paul,
Sub-Inspector of Police,
Paltanbazar,
Guwahati.

(Posthumous)

Shri Mohinder Pal,
Constable No. 740370375,
'A' Coy, 37 Bn. CRPF,
Camp Guwahati.

(Posthumous)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 16th November, 1983, the Superintendent of Police Guwahati, deputed a Police party, consisting of Shri Shiva Prasad Sarma, Inspector, Shri Nikhil Chandra Paul, Sub-Inspector, Shri Mohinder Pal, Constable, Central Reserve Police Force, with 40 jawans of 37 Bn. Central Reserve Police Force, for conducting a search in a hideout of suspected Manipuri extremists near Kalipur under Jhalukbari Police Station. On arrival at the hideout, the Police party cordoned the house and started the search. In response to the call of police, one of the extremists opened the door. As the police was about to apprehend the extremists, one of the extremists hurled a grenade at the police party, which injured several of them and killed one Central Reserve Police Force jawan on the spot. Despite the injuries, the police party stoutly resisted the escape of the extremists. Shri Sarma was seriously injured by grenade splinters, but despite his injuries, he tried to grapple with the extremists and prevented their escape. Later Shri Sarma had to be removed to Hospital for treatment. Shri Paul also received severe injuries due to the blasting of the grenade but despite his injuries he tried to grapple with the extremists to prevent their escape. As Shri Paul received severe multiple injuries, he had to be removed to the Railway Hospital, where he succumbed to his injuries after three days. Due to timely action of Shri Shiva Prasad Sarma and Shri Nikhil Chandra Paul the extremists could not use two other grenades which they possessed. Constable Mohinder Pal of Central Reserve Police Force fought bravely in the encounter, but unfortunately sustained grievous injuries and later succumbed to his injuries. One extremist viz. M. Torun @ Sawba Singh was also killed in the encounter.

In this encounter, Shri Shiva Prasad Sarma, Inspector, Shri Nikhil Chandra Paul, Sub-Inspector and Shri Mohinder Pal, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th November, 1983.

No. 40-Pres./86.—The Police Medal for meritorious service awarded to Shri Darshan Singh, Deputy Superintendent of Police, I/C, Sub-Division Baba Bakala, District Amritsar, Punjab, in the President's Secretariat Notification No. 10-Pres./84, dated the 26th January, 1984, published at page 152 of Part of Section 1 of the Gazette of India dated the 4th February, 1984, is hereby cancelled and the medal forfeited under Rule 8 of the Rules governing the award of Police Medal.

K. C. SINGH, Dy. Secy.
to the President

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 24th March 1986

ORDER

Subject: Grant of Petroleum Exploration Licence for R-9 (including R-10) area measuring 208.76 sq. kms. offshore (BOP).

No. O.12012/20/82-ONGD4.—In exercise of the powers conferred by Clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to Prospect for Petroleum from 27-2-83 to 26-2-86 for R-9 structure (including R-10) area measuring 208.76 sq. kms. (BOP) offshore Ratnagiri the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the Exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.
 - (i) Rs. 61/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.
 - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum & Natural Gas.
- (d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.
- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.
 - (i) Rs. 4/- for the first year of the licence;
 - (ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;
 - (iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;
 - (iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;
 - (v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.
- (l) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling exploration operations/survey, to Ministry of Defence (Naval Headquarters) in the usual manner.
- (m) ONGC ensure security of Oceanographic data.
- (n) The entire data is processed in India.

(o) ONGC render a complete set of data pertaining to bathy, bottom samples, current and magnetic observation free of cost to MOD the Chief Hydrographer, Dehradun.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian

Navy Specialists Officers prior to deployment. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

SCHEDULE—A

Technical data in respect of PEL for R-9 structure (including B-10) Offshore, Rajnagiri measuring 208.76 Sq. Kms.

Point	Longitude	Latitude
A	72° 20' 33.80" E	18° 13' 30" N
B	72° 26' 54.09" E	18° 13' 30" N
C	72° 29' 51.55" E	18° 04' 51.83" N
D	72° 21' 13.94" E	18° 05' 5.08" N

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C. Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

By order in the name of the President of India,

(Signature)

P. K. RAJAGOPALAN
Desk Officer

MINISTRY OF TRANSPORT
DEPTT. OF SURFACE TRANSPORT
(HINDI SECTION)

New Delhi, the 18th March 1986

RESOLUTION

No. HPU/106/86.—The Govt. of India makes partial modification in the erstwhile Ministry of Shipping & Transport's resolution of even number dated the 3rd September, 1985 which is regarding the reconstitution of the Hindi Salabkar Samiti, and consequently reconstitutes the said Hindi Salabkar Samiti as given below :—

Chairman

1. Minister for Transport

Vice-Chairman

2. Minister of State for Shipping & Transport

Members

3. Sh. Shiv Prasad, M.P. (Lok Sabha)
4. Sh. Narain Chaube, M.P. (Lok Sabha)
5. Sh. Sudhakar Pandey, M.P. (Rajya Sabha)
6. Sh. Ganeswar Kusum, M.P. (Rajya Sabha)
7. Sh. Nepal Dev Bhattacharya, M.P.
8. Sh. K. V. Thomas, M.P.
9. Transport Secretary
10. Additional Secretary (Ports)
11. Director General (Road Development)
12. Director General (Shipping)
13. Director General, Department of Lighthouses & Lightships
14. Chairman and Managing Director, Shipping Corpn. of India Ltd.
15. Chairman and General Manager, Central Inland Water Transport Corporation Ltd.
16. Chairman, Calcutta Port Trust
17. Chairman, Madras Port Trust
18. Secretary, Deptt. of Official Language & Hindi Adviser to the Govt. of India
19. Joint Secretary, Deptt. of O.L. (Ministry of Home Affairs)
20. Sh. Gaya Singh, Ex. M.L.A.
21. Sh. Jagdish Prasad Chaturvedi
22. Sh. Chandra Nath Misra
23. Sh. Shamsuddin Khan, Ex. M.L.A.
24. Sh. K. M. Mathai
25. Dr. J. P. Dwivedi
26. Dr. N. Chandrashekharan Nair
27. Sh. Abdul Rauf Ansari, M.L.A.
28. Sh. R. Shaurirajan
29. Dr. Tanvir Ahmed Alvi
30. Sh. Gopal Misra
31. Sh. Khem Chandra, "Suman"
32. Prof. Dr. Maship Singh
33. Sh. Surendra Sharma
34. Dr. K. N. Prasad "Magad"
35. Dr. M. Rajeshwarayya
36. Sh. K. C. Sinha
37. Sh. Chandrakant S. Kana
38. Sh. Shafi Qureshi
39. Prof. V. K. Sinha

Member Secretary

40. Joint Secretary (Ports)

II. Functions

The Samiti will render advice on all matters relating to progressive use of Hindi in day-to-day work of the Ministry and implementation of policies and instructions issued by the Central Hindi Samiti and Hindi Advisory Committee of the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language).

III. Tenure

The term of office of the members of this Samiti will be three years from the date of its reconstitution, provided that :—

- (1) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of this Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.
- (2) The Ex-Officio members of the Samiti shall continue so long as they hold office by virtue of which they have gained membership of the Samiti.
- (3) A mid-term vacancy caused due to resignation of death etc. of any member of the Samiti shall be filled up by his successor who shall hold office as member of this Samiti for the residue of the term of three years.

IV. General

- (i) The Samiti may co-opt additional members or invite experts to attend its meetings or may appoint sub-committee as may be deemed necessary.
- (ii) The headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it can hold its meetings at another place also, if necessary.
- (iii) Non official members of the Samiti shall be paid Travelling Allowance and Daily Allowance at the rates as prescribed by the Government from time to time and as shall be admissible under rules for attending meetings of the Samiti or its Sub-Committee if any.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be sent to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General Commerce Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

YOGENDRA NARAIN
Joint Secretary

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st March 1986

No. Q-16012/1/85-WE(NLI).—Whereas reconstitution of the National Labour Institute was notified vide Notification No. Q-16012/1/85-WE(NLI) dated the 22nd November, 1985.

NOW in the said Notification the following changes may be made :—

For the existing entry against serial No. 5 viz :—

"Shri Umraomal Purohit,
General Secretary,
Hind Mazdoor Sabha,
Nagindas Chamber,
2nd Floor, 167, P.D. Mello Road,
Bombay-400 038.

The following entry shall be substituted :—

"Shri A. Subramanian,
Vice-President,
Hind Mazdoor Sabha,
C/o Coimbatore District Textile Workers Union,
145, Trichy Road, P.O. Singanallur,
Coimbatore-641 005 (Tamil Nadu)."

CHITRA CHOPRA
Director

